

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-एफ.27(क)(1)गृह-2/2018

जयपुर दिनांक

17/09/19

-: अधिसूचना :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद् द्वारा जिला डूंगरपुर की निम्न चौकी को उसके वर्तमान थाने से हटाकर उसके सामने अंकित पुलिस थाने की अधिकारिता में स्थानान्तरित किये जाने की घोषणा करती है: -

| क्र. सं. | चौकी का नाम | वर्तमान पुलिस थाना | | | स्थानान्तरित पुलिस थाना | | |
|----------|-------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|---------|--------|
| | | थाना | सर्किल | उपखण्ड | थाना | सर्किल | उपखण्ड |
| 1 | विजवामाताजी | आसपुर | सागवाडा | साबला | साबला | सागवाडा | साबला |

यह अधिसूचना इस विषय पर इसके पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

ए.

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, डूंगरपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।
5. सहायक शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) को प्रेषित कर लेख है कि निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)